न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—104/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/104)

1. शौकिनलाल पुत्र मांगीलाल
2. कंचनदेवी पत्नि श्री पन्नालाल

दोनों जाति जाट, निवासी फतेहपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश तथाकथित दत्तक पुत्र श्री सुखदेव
2. सुखदेव पुत्र छोगाराम
3. शिवकरण पुत्र छोगाराम (मृतक) जरिए वारिसान—:
   - 3/1 बिदामी पत्नि शिवकरण
   - 3/2 दिलीप पुत्र शिवकरण
   - 3/3 नैनाराम पुत्र शिवकरण
   - 3/4 गीता पुत्री शिवकरण
   - 3/5 गंगा पुत्री शिवकरण
4. दिलीप पुत्र मूला
5. राजू पुत्र मूला
6. शारदा पत्नि रघुनाथ
7. राकेश पुत्र रघुनाथ

   समस्त जाति जाट, निवासी फतेहपुरा तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन, जिला अजमेर।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीसांगन जरिए प्रबंधक।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 36/2014.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7, 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 9 उपखण्ड

अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर वाद दिनांक 7.5.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 25.6.2014 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए साथ ही वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु दिनांक 9.7.2014 को नियत की गई तत्पश्चात उक्त मुकदमे में केवल तारीख पेशीयां ही नियत की गई तथा पत्रावली दिनांक 1.7.2016 को कैम्प कोर्ट ग्राम रामपुरा डाबला में प्रस्तुत हुई जहां पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी. पी.सी. पर स्वीकार की जाकर उसे स्वीकार करते हुए अपीलांट्स को वाद पत्र में पक्षकार मुर्तिब कर लिया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब एवं संशोधित शीर्षक हेतु लम्बित रही। दिनांक 24.8.2016 से दिनांक 8.1.2021 तक वास्ते जवाब एवं संशोधित शीर्षक हेतु लम्बित रही। दिनांक 8.1.2021 को प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई तथा पत्रावली दिनांक 12.2.2021 से 8.12.2021 तक वास्ते वादी साक्ष्य में लम्बित रही तथा दिनांक 8.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा 3 के वारिसानों की उपस्थिति दर्ज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के वारिसानों को रिकार्ड पर लेकर सीधे ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिसकी जानकारी बीच बीच में न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रहने के कारण अपीलांट्स को नहीं हो सकी तथा जब दिनांक 23.3.2022 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कार्यालय तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस प्राप्त हुआ तब अपीलांट्स को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त प्रकरण में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नकल एवं निर्णय दिनांक 8.12. 2021 की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 25.3.2022 को किया जिस पर दिनांक 27.3.2022 को नकल प्राप्त हुई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7, 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में न्यायिक कार्य स्थगित रहा जिस कारण अपीलांट्स को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई एवं ना ही अभिभाषक ने सूचित किया। जब दिनांक 23.3.2022 को प्राथमिक डिक्री की पालना में कार्यालय तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस प्राप्त हुआ तब अपीलांट्स को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त प्रकरण में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नकल एवं निर्णय दिनांक 8.12.2021 की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 25.3.2022 को किया जिस पर दिनांक 27.3.2022 को नकल प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट्स कानूनी सलाह प्राप्त कर एवं फीस आदि का प्रबन्ध कर दिनांक 4.4.2022 को अजमेर आये एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अविलम्ब उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है । ऐसी स्थिति में उक्त अपील प्रस्तुत किए जाने में पर्याप्त एवं सदभाविक कारण होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में से आराजी स्थित ग्राम फतेहपुरा खसरा नम्बर 370, 371, 452, 453 कुल किता 4 कुल रकबा 2.29 हैक्टर भूमि में निहित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के 1/4 सम्पूर्ण हक हिस्से का अपीलांट्स ने क्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.5.2014 को एवं आराजी स्थित ग्राम रामपुरा डाबला के खसरा नम्बर 141, 142, 143/1813, 146/1814, 169/1815, 74, 89 कुल किता 7 कुल रकबा 2.23 हैक्टर में निहित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सम्पूर्ण 1/4 हक हिस्से का क्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.5. 2014 को दो पृथक पृथक विक्रय पत्रों से क्रय कर कब्जा एवं दखल प्राप्त कर लिया था तथा क्रय दिनांक से अपीलांट्स अपनी क्रयशुदा आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलांट्स को वाद के विचाराधीन रहते पक्षकार मुर्तिब किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की क्रयशुदा आराजी को नजर अन्दाज

कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद उसके अधिवक्ता द्वारा प्रोसीडिंग के अनुसार पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं जवाब हेतु लम्बित थी जिसकी पालना वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं की गई, तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य हेतु भी लम्बे समय तक लम्बित रही। उक्त आदेश की पालना वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं की गई। उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए केवल मात्र वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ प्रदान करने से वाद को आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत निरस्त नहीं कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी का जवाब बन्द कर दिया जाता है तो भी उसे वाद में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित है, बावजूद इसके अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य व सुनवाई का कोई भी अवसर नहीं दिया जाकर प्रकरण को स्वीकार करते हुए निर्णय अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दिनांक 8.12.2021 को वास्ते वादी साक्ष्य हेतु लम्बित था परन्तु वादी द्वारा उक्त दिनांक को किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शिवकरण पुत्र छोगाराम की कायम मुकाम कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे बिना सुनवाई करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक को स्वीकार करते हुए वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक दीवानी वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सी.पी. सी. वास्ते निरस्त करने गोदनामा दिनांक 3.12.2012 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पुष्कर वाद संख्या 36/2014 दिनांक 2.7.2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 3.12.2012 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा है जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है, इस प्रकार उक्त दीवानी वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जो राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी हेतु गोदनामे के आधार पर प्रस्तुत किया गया है वह संधारण योग्य नहीं था उक्त वाद की रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्रारम्भ से ही जानकारी थी परंतु वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए उक्त वाद डिक्री करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय रेस्पोडेंट संख्या 3 के फौत होने की कार्यवाही को स्वीकार किया परंतु निर्णय में मृतक के वारिसानों को पक्षकार मुर्तिब नहीं कर निर्णय मृतक के विरूद्ध ही पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12. 2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद–पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 अविभाजित हिस्सा निहित करता है। इसी प्रकार 1/4 हिस्से के सह खातेदार मूला पुत्र छोगाराम के स्वर्गवास पश्चात् 1/4 हिस्सा जरिये विरासत नामांतरकरण संख्या 474 दिनांक 20–12–2002 से उनके विधिक वारिसान तथा जरिये नामांतरकरण संख्या 494 दिनांक 15–1–2013 से सम्पूर्ण 1/4 अविभाजित हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 के नाम अंकन किया गया तथा 1/4 हिस्से के सहखातेदार रूघनाथ पुत्र

छोगाराम का स्वर्गवास हो जाने पर अविभाजित 1/4 हिस्सा जरिये विरासत नामांतरकरण संख्या 269 दिनांक 16.9.2010 से उनके विधिक वारिसान एवं जरिये नामांतरकरण संख्या 348 दिनांक 4.3.2011 से प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के नाम अंकन किया गया। जो कि वाद पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित राजस्व रिर्कोड से पूर्णतया सिद्ध है। वादी, प्रतिवादी संख्या 2 शिवकरण का जाईन्दा पुत्र है, जिसे शिवकरण एवं उनकी धर्मपत्नि श्रीमती बिदामदेवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को जरीये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 3.12.2012 से गोद दिया गया, जिसे प्रतिवादी संख्यान द्वारा विधिवत स्वीकार भी किया गया। इस प्रकार वादी, प्रतिवादी संख्यान का गोद पुत्र होकर वाद पत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमियां उसके पैतृक हक, अधिकार एवं आधिपत्य की है। चूंकि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 3.12.2012 से गोद लिये जाने की तिथि को ही वादी के प्रतिवादी संख्या–1 की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्तियों में प्राकृतिक पुत्र के अनुसार हक, अधिकार एवं आधिपत्य सृजित हो चुके है। अतः वाद–पत्र की चरण संख्यान में वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या–1 के निहित 1/4 हिस्से में से 1/2 यानि 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किये जाने की घोषणात्मक अज्ञाप्ति हेतु यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियाँ वादी के पैतृक हक, अधिकार एवं आधिपत्य की रही है, जिनमें भारतीय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी के भी हक, अधिकार एवं आधिपत्य प्रतिवादी संख्या–1 के साथ संयुक्त रूप से निहित करते है, परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 अपने नाम अंकित खातेदारी की आड़ में वादी को उसके पैतृक हक, अधिकार एवं आधिपत्य से वंचित किये जाने पर आमादा है। अतः वादी को प्रतिवादी संख्या–1 के 1/4 हिस्से में से 1/2 यानि 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिर्कोड में वादी के नाम खातेदारी अंकित किये जाने की घोषणात्मक अज्ञाप्ति हेतु आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकित खातेदारी के आधार पर उनके द्वारा किये जा रहे, अविधिक कृत्य के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त बनाये रखना असम्भव होगा। अतः वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य के अनुरूप बॉय मिण्टस् एण्ड बाउण्डस् विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिर्कोड में पालना करवाये जाने की घोषणात्मक अज्ञाप्ति पारित फरमायी जावे। प्रतिवादीगण एवं उनके सहयोगीगण वादी के पैतृक खातेदारी हक, अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी मुतनाजा को अविधिक रूप से रहन, बय मुन्तकिल कर अतिक्रमण/अतिचार किये जाने में सफल हो जाते हैं तो वादी द्वारा वर्तमान वाद–पत्र प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त होकर वादी के विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य का हनन होगा, जिससे वादी को प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा जिसमें होने वाली आर्थिक एवं मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असंभव है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है जो आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (111) राजस्थान पेज 1891(बी), आर0एल0डब्ल्यू0 2007 (11) राजस्थान पेज 443, आर0आर0डी0 1998 पेज 1 (एच0सी0).

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92 ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 9 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर दिनांक 08.12.2021 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2014 के अनुसार अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 की आराजीयात का क्रय जरिए दो पृथक पृथक पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2014 को किया गया है। चूंकि अपीलांट संख्या 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में पक्षकार संयोजित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को दिनांक 01.07.2016 को स्वीकार किया जाकर वर्तमान अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.01.2021 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए थे जो कि उन्हें उक्त प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किए जाने के लिए बखूबी थे बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को जवाब प्रस्तुत करने का न्यायसंगत अवसर ही प्रदान नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया व प्रकरण में उन्हें बिना सुने निर्णय व डिक्री पारित की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 03.12.2012 की फोटोप्रति प्रस्तुत है जिसके अनुसार शिवकरण व उनकी पत्नि बिदामी देवी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को सुखदेव के गोदपुत्र के रूप में गोद दिया गया। परंतु उक्त गोदनामे की सत्यप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है उक्त फोटोप्रति के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया। चूंकि फोटोप्रति को साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं माना जा सकता बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया। उक्त गोदनामे से संबंधित दीवानी वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 वास्ते निरस्त करने गोदनामा दिनांक 03.12.2012 न्यायालय सिविल न्यायाधीश पुष्कर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 3 शिवकरण व उनकी पत्नी बिदामी के विरूद्ध दिनांक 02.07.2014 को प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद का जवाब दावा अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 जा0दी0 रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.11.2014 को प्रस्तुत किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद दिनांक 07.05.2014 को प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 08.12. 2021 को किया गया, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त गोदनामे निरस्तीकरण की प्रक्रिया सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है परंतु उभयपक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई।

पत्रावली पर उपलबध ईकबालिया बयान जो कि दिनांक 08.12.2021 का है उसके तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/5 द्वारा निवेदन किया गया कि यदि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 की आराजीयात में से रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/8 हिस्सा दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है परंतु उक्त ईकबालिया बयान पर मात्र दिलीप व नैनाराम के ही हस्ताक्षर है अपितु उनकी माता व दो बहनों के हस्ताक्षर नहीं

है। फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया जबकि उक्त बयान बाबत मात्र दो पक्षकार ही सहमत थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 08.12.2021 बिना विवेचन के मात्र आर्डरशीट पर ही निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर धारा 88, 89, 188, 92ए एवं 53 के तहत अनुतोष मांगा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार प्राथमिक डिक्री में वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 ही अंकन किया गया है जबकि प्रकरण में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को विवादित आराजीयात बाबत खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई प्राथमिक डिक्री में बाकी धाराओं का अंकन किस आधार पर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना किसी फाईण्डिंग के ही वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण बिना तनकीयां कायम किए आदेशिका पर अति संचित रूप से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना गुणावगुण पर फाईण्डिंग दिए पारित किया गया है।

2011(2)आरआरटी 763

Passing of judgment issuewise is mandatory u/order 20 rule 5 c.p.c.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 में प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर